

la- 136]
No. 136]**नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 3, 2017/चैत्रा 13, 1939**
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 3, 2017/CHAITRA 13, 1939jktLFkku] dsUnzh; fo'ofokj;
(संसद के अधिनियम के तहत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

vtesj] 27 ekpZ] 2017

अधिसूचना

la- ds-fo-fo- jkt-@vkj-@,Q-87@2017@4740-&&loZlk/kkj.kdh tkudkj ds fy, çdkf'kr fd;k
tkrk gS-&& v;/kns'k 02

vuqns'k ,oa ijh{kk dk ek;/e

(अधिनियम के अनुभाग 28(c)(g) के तहत निर्धारित)

विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में स्कूल, केन्द्र एवं विभागों में संचालित सभी पाठ्यक्रमों के संबंध में शिक्षा का माध्यम, भाषा में अध्ययन/शोध को छोड़कर, अंग्रेजी होगा।

v;/kns'k 11

सहायक प्रोफेसर, सह प्रोफेसर, प्रोफेसर तथा अन्य अकादमिक स्टाँफ के कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के माध्यम से पदोन्नति हेतु मानदण्ड/अधिनियम विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर/ सह प्रोफेसर/ प्रोफेसर/ अन्य अकादमिक स्टाँफ की कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के माध्यम से पदोन्नति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित, प्रचलित एवं समय-समय पर संशोधित मानदण्ड/अधिनियम के द्वारा शासित होगी।

v;/kns'k 12

कुलपति की परिलब्धियाँ, सेवा के नियम और शर्तें,

शर्तियाँ और कार्य

(अधिनियम धारा 28 (ओ) संविधि 2(6))

osru

1-वेतन: जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है।

2-महंगाई और अन्य भत्तें: जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर मकान किराया भत्ता के अतिरिक्त अधिसूचित किया

tkrk gSA

3-कुलपति ऐसे सेवानिवृत्ति हितलाभों और भत्ते के हकदार होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए जाते हैं।

4-कुलपति विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के लिए हकदार होंगे।

1883 GI/2-17

(1)

2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC. 4]

5-कुलपति, स्वयं और उनके परिवार के सदस्यों को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अस्पताल/नर्सिंग होम के किसी प्राईवेट ओपीडी/प्राईवेट वार्ड में लिए गये चिकित्सा उपचार पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे। 6-कुलपति, स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए पद ग्रहण करते समय गृह नगर से कार्यस्थल ओर कार्यकाल के समापन पर पद छोड़ते समय वापसी के लिए टीए/डीए के व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

7-कुलपति कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित दरों पर यात्रा भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे।

vodk'k

- 1 (अ) कुलपति को अपने पद के कार्यकाल के दौरान एक कैलेण्डर वर्ष में 30 दिनों की दर से पूर्ण वेतन पर अवकाश की पात्रता होगी। प्रत्येक वर्ष 15 दिनों का अवकाश उनके खाते में छमाही किस्तों में जनवरी के प्रथम दिन और जुलाई के प्रथम दिन अग्रिम रूप से जमा किया जाएगा।

परन्तु यह कि यदि कुलपति किसी अर्द्धवार्षिक के दौरान पद ग्रहण करते हैं अथवा अपना पदभार छोड़ते हैं, सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए अनुपातिक आधार पर ढाई दिनों (2))dh nj ls vodk'k tek fd;k tk;sxxA

- 1 (ब) पूर्व छमाही के समापन पर कुलपति की अवकाश खातों में जमा अवकाश को नई छमाही में इस शर्त पर अग्रणीत किया जाएगा कि अग्रणीत अवकाश ओर छमाही के लिए जमा की गई अवकाश 300 दिनों की अधिकतम सीमा से अधिक न हो।

- 1 (स) कुलपति अपने पदभार छोड़ने के समय उन्हें देय पूर्ण वेतन के आधार पर उपलब्ध अवकाश के दिनों के समतुल्य वेतन अवकाश के पात्र होंगे, जो कहीं और प्राप्त किये वेतन अवकाश नकदीकरण एवं अधिकतम सीमा 300 दिन को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

- 1(द) कुलपति, प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष पर 20 दिन की दर से अर्धवेतन अवकाश के लिए भी हकदार होंगे। अर्द्धवेतन अवकाश को पूर्ण वेतन पर परिवर्तित अवकाश के रूप में चिकित्सा प्रमाण पत्र दिये जाने पर प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु जब ऐसी परिवर्तित अवकाश को लिया जाता है, तब अर्द्ध वेतन अवकाश खाते में उपलब्ध अवकाश को दोगुना MsfcV fd;k tk;sxxA

- 1 (ए) कुलपति अपने पांच वर्षों की पूर्ण अवधि के कार्यकाल के दौरान, तीन महीने की अधिकतम अवधि के लिए बिना वेतन असाधारण अवकाश चिकित्सा या अन्य आधार पर लेने के लिए हकदार होंगे।।

3. यदि कुलपति को एक आगामी अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है तो उपर्युक्त इंगित अवकाश अवधि, प्रत्येक अवधि के लिए अलग अलग लागू होगी।

4. ऐसे अवकाश की अवधि के दौरान, कुलपति, उसी वेतन, मानदेय और भत्तों तथा दी गई ऐसी अन्य सेवा सुविधा जो सामान्य दिनों के दौरान प्रदान की गई हो, के लिए हकदार होंगे।

5- dqyifr dh dsUnz ;k jkT; ljdkj }kjk cqykok ;k ljdkjh lsok ;k fdllh ljdkjh m}s'; ds fy,

6- fo'ofokky; की ओर से प्रतिनियुक्ति के कारण अनुपस्थिति के समय को ड्यूटी पर माना जाएगा।

उपलब्ध किसी भी अवकाश को लेने की अनुमति होगी। इसी प्रकार, उसके द्वारा कुलपति के पद को छोड़ने पर और अपने मूलपद पर पुनः कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में, उन्हें अपने नवीन पद पर अपने खाते में उपलब्ध अवकाश को पुनः ले जाने की पात्रता होगी।

- 7- कुलपति के रूप में नियुक्ति होने से तुरन्त पूर्व प्रॉविडेंट फंड, जिसके वह सदस्य है, में किये जा रहे अंशदान को उसी दर से कुलपति पद पर रहते हुए जारी रखने की अनुमति होगी और विश्वविद्यालय उस प्रॉविडेंट फंड खाते में mlh leku nj ls v'kanku djsxxA

- 8- किसी अन्य संस्थान में नियुक्त किसी व्यक्ति को यदि प्रतिनियुक्ति पर कुलपति नियुक्त किया जाता है तो वह उस संस्थान जिसमें कुलपति की नियुक्ति से पहले पात्रता रखता था की प्रतिनियुक्ति नियमों के अनुसार वेतन, भत्ता, अवकाश वेतन की पात्रता रखेगा तथा और तब तक जब तक वह इस पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार रखना जारी रखता है। विश्वविद्यालय द्वारा नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्यता के अनुसार उस संस्थान में जहाँ वह स्थायी तौर पर नियुक्त

है, अवकाश वेतन, भविष्य निधि, संस्थान को पेंशन अंशदान का भुगतान भी किया जायेगा।

- (दूसरी अवधि, 70 वर्ष) 9- केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से 70 वर्ष करने के लिए जारी डीओ पत्र एफ.1 -24/2006-डेस्क (यू) दिनांकित 30.03.2007 के

आधार पर सम्बन्धित संविधि में संशोधन कर सक्षम प्राधिकारी का करना होगा (केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में कुलाध्यक्ष)

अनुमोदन प्राप्त

lqfo/kk,a

- 1) कुलपति को विश्वविद्यालय द्वारा पानी, बिजली और किराए से मुक्त सुसज्जित निवासीय आवास मय फर्नीचर, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किया हो, पाने की पात्रता होगी। विश्वविद्यालय द्वारा कुलपति निवास परिसर का

j[kj[kko fd;k tk;sxkA

¹भाग IIIखण्ड 4ह

भारत का राजपत्रा: असाधारण

3

- 2) कुलपति को निःशुल्क सरकारी कार की पात्रता होगी। साथ ही उनको कार्यालय एवं आवास पर एसटीडी, आईएसडी सुविधा के साथ निःशुल्क टेलीफोन की सुविधा की भी पात्रता होगी।
- 3) कुलपति को अपने आवास पर एक रसोईया और दो परिचरों की भी पात्रता होगी।

शक्तियाँ और कार्य

कुलपति, विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी और शैक्षणिक प्रमुख हैं और उनकी शक्तियाँ और कर्तव्यों में, अन्य के साथ, fuEufyf[kr 'kkfey gSa&

- 1-अधिनियम, संविधि, अध्यादेश और नियमों के प्रावधान का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करना।
- 2-प्रति-कुलपति(यों) डीन, विभागाध्यक्ष और अन्य अधिकारियों को दिन-प्रतिदिन का कार्य करने के लिए अपनी शक्तियाँ इस सम्बन्ध में निर्धारित नियमों के आधार पर सौंपना।
- 3-कार्यकारी परिषद के समक्ष सामान्य विषय जैसे अल्प अवधि के लिए अस्थायी पदों का निर्माण, अवकाश की स्वीकृति आदि को नहीं भेजना सुनिश्चित करना।
- 4-डीन, विभागाध्यक्ष, डीन छात्र कल्याण, वार्डन आदि की नियुक्ति करना। प्रति-कुलपति, (या मुख्याधिष्ठाता) और समकक्ष अधिकारियों की नियुक्ति करना, यद्यपि अधिनियम और संविधि के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है।
- 5-किसी भी प्राधिकरण के किसी फैसले पर कुलपति कार्य नहीं करने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है यदि वह इस राय में है कि यह अधिनियम या संविधि या अध्यादेश का अधिकारातीत है या ऐसा निर्णय विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में नहीं है, दोनों ही मामलों में वह सम्बन्धित प्राधिकरण को इस फैसले की समीक्षा करने के लिए कह सकता है और यदि मतभेद बने रहते हैं तो मामला तुरन्त कुलाध्यक्ष को भेजा जायेगा जिनका निर्णय अंतिम होगा और कुलपति पर बाध्यकारी होगा।
- 6-विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, निकायों और समितियों के सभापति होने के नाते उन्हें यह अधिकार है कि किसी सदस्य द्वारा समिति की बैठक की कार्यवाही को रोकने या सदस्य द्वारा अनुचित व्यवहार में शामिल होने पर उसे प्राधिकारी, निकाय या समिति की बैठक से निलंबित करने का अधिकार होगा।
- 7-छात्रों और कर्मचारियों के संबंध में सभी अनुशासनिक शक्तियाँ कुलपति में निहित होंगी। उसके पास कर्मचारी को निलंबित करने और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की शक्तियाँ होंगी। यद्यपि, कुलपति इन अधिकारों को अन्य अधिकारियों को सौंप सकते हैं।
- 8-वह निर्धारित समय पर विश्वविद्यालय परीक्षाओं को आयोजित करने और संचालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे और परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र ही प्रकाशित किए जाना, शैक्षणिक कैलेंडर में निर्धारित तारीखों के अनुसार विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्रों की शुरुआत और अंत सुनिश्चित करेंगे।
- 9-किसी आकस्मिक स्थिति में किसी प्राधिकारी में अर्न्तनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई कार्रवाई करना और ऐसी की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्राधिकारी की अगली बैठक में प्रस्तुत करना।
- 10-वह अधिकारियों, संकाय सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों को जिम्मेदारियाँ आवंटित करने और उनकी कार्य प्रदर्शन को अपेक्षाकृत मानकों पर संपरीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- 11-विकास की समग्र योजनाओं के अनुसार लोगों (छात्रों और शैक्षणिक कर्मचारियों सहित) को एक

तरीके से प्रबंधित करना जिससे समाज पर बड़े पैमाने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कार्य होते हैं।

12-सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का, जो कि संविधियों/अध्यादेशों में परिभाषित है, का प्रयोग करना।

13-वह उपरोक्त में से किसी भी को लागू करने के लिए उपयुक्त आदेश पारित करेगा और आवश्यक कदम उठायेगा।

v/;kns'k 13

उप-कुलपति की परिलब्धियाँ, सेवा के नियम और शर्तें,
शक्तियाँ और कार्य

(अधिनियम धारा 28 (o); संविधि 4(3))

उप-कुलपति को निम्नानुसार वेतन प्राप्त होगा-

1-वेतन: जैसा कि केंद्र सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है। 2-महंगाई और अन्य भत्तें: जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है।

परन्तु यह कि जहाँ इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्थान/सरकार और इसके संगठनों के किसी कर्मचारी को *mi&dqiyr fu;qfDr fd;k tkrk gS] og mi&dqiyr ds :i esa fu;qfDr ds iwoZ ftl lsokfuofRr fgrykHk Ldhe* की पात्रता रखता था, उसी स्कीम (नामत सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि/पेंशन/उपदान (ग्रैजुएट)/स्थानांतरण यात्रा भत्ता) से शासित होता रहेगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक वह उस पद पर अपना पुनर्ग्रहणाधिकार जारी रखता है।

3-उप-कुलपति, स्वयं और उनके परिवार के सदस्यों को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अस्पताल/नर्सिंग होम के किसी प्राइवेट ओपीडी/प्राइवेट वार्ड में लिए गये चिकित्सा उपचार पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

4

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC. 4]

4-उप-कुलपति, स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए पद ग्रहण करते समय गृह नगर से कार्यस्थल ओर कार्यकाल के समापन पर पद छोड़ते समय वापसी के लिए टीए/डीए के व्यय की प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे।

5-उप-कुलपति को कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित दरों पर यात्रा भत्ता प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे।

6-उप-कुलपति, विश्वविद्यालय द्वारा पानी, बिजली और किराया मुक्त सुसज्जित रहवासीय आवास का पात्र होगा। *fo'ofoky; }kjk mi&dqiyr fuokl ifjlj dk j[k&j[kko fd;k tk;sxxA*

7-उप-कुलपति कार्यालय एवं आवास से आवागमन हेतु स्टाँफ कार का पात्र होगा। साथ ही उनको मोबाईल फोन व आवास पर एसटीडी, आईएसडी सुविधा के साथ निःशुल्क टेलीफोन की सुविधा की भी पात्रता होगी।

8-उप-कुलपति अपने आवास पर एक परिचर रखने का भी पात्र होगा।

9-vodk'k

, - उप-कुलपति को अपने पद के कार्यकाल के दौरान एक कैलेण्डर वर्ष में 30 दिनों की दर से पूर्ण वेतन पर अवकाश की पात्रता होगी। प्रत्येक वर्ष 15 दिनों का अवकाश उनके खाते में छमाही किस्तों में जनवरी के प्रथम दिन और जुलाई के प्रथम दिन अग्रिम रूप से जमा किया जाएगा।

परन्तु यह कि यदि उप-कुलपति किसी अर्द्धवार्षिकी के दौरान पद ग्रहण करते हैं अथवा अपना पदभार छोड़ते हैं,

सेवा की प्रत्येक पूर्ण माह के लिए अनुपातिक आधार पर ढाई दिनों (2)) की दर से अवकाश जमा किया tk;sxkA

बी. पूर्व अर्द्धवार्षिकी के समापन पर उप-कुलपति को अवकाश खाते में जमा अवकाश को नई अर्द्धवार्षिकी में इस शर्त पर अग्रणीत किया जाएगा कि अग्रणीत अवकाश ओर अर्द्धवार्षिकी के लिए जमा की गई अवकाश 300 दिनों की अधिकतम सीमा से अधिक न हो।

lh उप-कुलपति अपने पदभार छोड़ने के समय उन्हें देय पूर्ण वेतन के आधार पर उपलब्ध अवकाश के दिनों के समतुल्य वेतनावकाश के पात्र होंगे, जो कहीं और प्राप्त किये वेतनावकाश नकदीकरण एवं अधिकतम सीमा 300 दिन को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

Mh- उप-कुलपति, प्रत्येक सेवा वर्ष पूर्ण करने पर 20 दिन की दर से अर्धवैतनिक अवकाश के लिए भी हकदार होंगे। अर्धवैतनिक अवकाश को पूर्ण वेतन पर परिवर्तित अवकाश के रूप में चिकित्सा प्रमाण पत्र दिये जाने पर प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु जब ऐसी परिवर्तित अवकाश को लिया जाता है, तब अर्द्ध वेतन अवकाश खाते में उपलब्ध अवकाश को दोगुना कम (डेबिट) किया जायेगा।

bZ यदि उप-कुलपति को एक आगे की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, उपरोक्त वर्णित अवकाश की अवधि, प्रत्येक नियुक्ति के लिए अलग-अलग लागू होगी।

एफ ऐसे अवकाश की अवधि के दौरान उप-कुलपति समान वेतन, मानदेय और भत्तों तथा दी गई ऐसी अन्य सेवा की अन्य प्रदत्त सुविधाओं का पात्र होगा।

जी. उप-कुलपति की केन्द्र या राज्य सरकार के बुलावे पर या लोक सेवा के लिए विश्वविद्यालय की ओर से प्रतिनियुक्ति के कारण अनुपस्थिति के समय को ड्यूटी पर माना जाएगा।

एच. विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी के उप-कुलपति नियुक्ति होने पर, उसे उप-कुलपति की नियुक्ति से पहले उसके खाते में उपलब्ध किसी भी अवकाश को लेने की अनुमति होगी। इसी प्रकार, उसके द्वारा उप-कुलपति के पद को छोड़ने पर और अपने मूलपद पर पुनः कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में, उन्हें अपने नवीन पद पर अपने खाते में उपलब्ध अवकाश को पुनः ले जाने की पात्रता होगी।

उप-कुलपति के रूप में नियुक्ति होने से तुरन्त पूर्व प्रॉविडेंट फंड, जिसके वह सदस्य है, में किये जा रहे अंशदान को उसी दर से उप-कुलपति पद पर रहते हुए जारी रखने की अनुमति होगी और विश्वविद्यालय उस प्रॉविडेंट QaM [kkrs esa mlh leku nj ls v'kanku djsxkA

आई. किसी अन्य संस्थान में नियुक्त किसी व्यक्ति को यदि प्रतिनियुक्ति पर उप-कुलपति नियुक्त किया जाता है तो वह उस संस्थान जिसमें उप-कुलपति की नियुक्ति से पहले पात्रता रखता था की प्रतिनियुक्ति नियमों के अनुसार वेतन, भत्ता, अवकाश वेतन की पात्रता रखेगा तथा और तब तक जब तक वह इस पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार रखना जारी रखता है। विश्वविद्यालय द्वारा नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्यता के अनुसार उस संस्थान में जहाँ वह स्थायी तौर पर नियुक्त है, अवकाश वेतन, भविष्य निधि, संस्थान को पेंशन अंशदान का भुगतान भी किया जायेगा।

शऱियाँ और कार्य

उप-कुलपति ऐसे मामलों के सम्बन्ध में कुलपति की सहायता करेंगे जो समय समय पर इस सम्बन्ध में कुलपति द्वारा विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं और ऐसी शक्तियों का प्रयोग भी करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का पालन भी करेंगे जिन्हें कुलपति के द्वारा उन्हें अभिहस्तांकित या उन्हें सौंपा जाता है।

[अधिनियम धारा 28 (ओ) संविधि 6 (3)]

1-कुलसचिव एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी जो कार्यकारी परिषद द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की संस्तुति पर पाँच वर्षों के कार्यकाल के लिए नियुक्ति होगा, जिसे कार्यकारी परिषद द्वारा एक समरूप अवधि के लिए नवीनीकृत किया सकता है और जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा संस्तुत और समय-समय पर कार्यकारी परिषद द्वारा यथा अंगीकृत वेतनमान प्रदान किया जायेगा।

बशर्ते यह कि कुलसचिव बासठ वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाएगा।

परन्तु यह कि जहाँ इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य संस्थान/सरकार और इसके संगठनों के किसी कर्मचारी को दृष्टिपूर्वक रूप से नियुक्ति के लिए नियुक्ति होगा, जिसे कार्यकारी परिषद द्वारा एक समरूप अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है और जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यथा संस्तुत और समय-समय पर कार्यकारी परिषद द्वारा यथा अंगीकृत वेतनमान प्रदान किया जायेगा।

2-कुलसचिव की सेवा के नियम और शर्तें वहीं होंगी जो विश्वविद्यालय के अन्य गैर-अवकाश कर्मचारियों के लिए निर्धारित हैं।

3-जब कुलसचिव का पद रिक्त हो अथवा जब कुलसचिव बीमार होने, अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद पर कार्य निष्पादन में असमर्थ है तो पद के कार्यों का निष्पादन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

4-यदि कुलसचिव सरकार अथवा किसी अन्य संगठन/संस्थान से प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाता है तो उनके सेवा की नियम और शर्तें भारत सरकार की प्रतिनियुक्ति नियमों से शासित होंगी।

5-प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कुलसचिव को कुलपति की सिफारिशों पर कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित अवधि से पहले ही नियुक्ति दी जाएगी।

6-कुलसचिव को असज्जित आवास की पात्रता होगी, जिसके लिए निर्धारित लाइसेंस फी (शुल्क) का भुगतान करना होगा, साथ ही आवास हेतु निशुल्क मोबाईल फोन और टेलीफोन (एस.टी.डी., आई.एस.डी. सुविधा सहित) देय होगी। 7-कुलसचिव अवकाश, भत्ते, भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों के हकदार होंगे, जो कि समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अपने गैर-अवकाश कर्मचारियों के लिए निर्धारित है।

8-कुलसचिव कार्यालय और उसके निवास के बीच स्टाफ कार की सुविधा के हकदार होंगे।

जिम्मेदारी और कर्तव्य

1-कुलसचिव को अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक स्टाफ को छोड़कर कार्यकारिणी के आदेश में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने, जांच पूरा होने तक निलंबित करने, उन्हें चेतावनी देने अथवा उन पर निंदा दंड अधिरोपित करने या वेतनवृद्धि रोकने का अधिकार होगा। परन्तु यह कि -

क. कोई भी ऐसा दंड अधिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक व्यक्ति को उसके संबंध में प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध उसको कारण बताने का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

ख. उप-खंड (क) में विनिर्दिष्ट दंड अधिरोपित करने हुए कुलसचिव के किसी आदेश के विरुद्ध कुलपति को अपील की जा सकती है।

ग. जहाँ जांच से यह प्रकट होता है कि आरोपित होने वाला दंड कुलसचिव की शक्तियों से बाहर है, जांच के समापन पर कुलसचिव संस्तुतियों के साथ कुलपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

परन्तु यह कि दंड अधिरोपित करते हुए कुलपति द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध कार्यकारिणी परिषद को अपील की जा लdrh gSA

2-कुलसचिव कार्यकारिणी परिषद और शैक्षण्िाक परिषद का पदेन सचिव होगा, लेकिन इन दोनों प्राधिकारियों का सदस्य नहीं होगा और कुलसचिव कोर्ट का पदेन सदस्य सचिव होगा।

3-कुलसचिव का कर्तव्य होगा कि -

क. रिकार्ड, सामान्य मोहर और कार्यकारिणी परिषद द्वारा कुलसचिव को सुपुर्द किये गये विश्वविद्यालय की अन्य संपत्ति का अभिरक्षक होना।

ख. कोर्ट, कार्यकारिणी परिषद, शैक्षण्िाक परिषद और प्राधिकारियों द्वारा नियुक्ति किन्हीं समितियों की बैठकों को बुलाने संबंधी सभी नोटिसों को जारी करना।

6

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC. 4]

ग. कोर्ट, कार्यकारिणी परिषद, शैक्षण्िाक परिषद और प्राधिकारियों द्वारा नियुक्ति किन्हीं समितियों की सभी बैठकों के कार्यवृत्तों को रखना।

घ. कोर्ट, कार्यकारिणी परिषद, शैक्षण्िाक परिषद के कार्यालयी पत्राचारों संबंधी कार्य का संचालन।

ड. विश्वविद्यालय की प्राधिकारियों की बैठकों की कार्यसूची की प्रतियों को, जैसे ही ये जारी किये जाते हैं, और इन बैठकों के कार्यवृत्त को कुलाध्यक्ष के पास भेजना।

च. विश्वविद्यालय द्वारा अथवा इसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामों को हस्ताक्षर करना और अभिवचनों का सत्यापन करना अथवा इस उद्देश्य के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करना।

छ. कार्यकारी परिषद या कुलपति के निर्देश में विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी सुनिश्चित करना तथा

ज. ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन जो परिनियमों, अध्यादेशों में यथा विनिर्दिष्ट हो अथवा कार्यकारिणी परिषद या कुलपति द्वारा समय समय पर यथा अपेक्ष्िात किया गया हो।

v/;kns'k 22

उच्च शिक्षा में रैगिंग की बुराई की रोकथाम

(अधिनियम के अनुभाग 28(n))

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी एवं समय-समय पर संशोधित अधिनियम “उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की बुराई की रोकथाम (2009)” के तहत रैगिंग निषिद्ध एवं दण्डनीय है।

v/;kns'k 24

fo'ofokky; fuekZ.k lfefr

(अधिनियम धारा 28 (जे))

1-भवन समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर होगी, नामित

1. कुलपति (अध्यक्ष)

2. सीपीडब्ल्यूडी/पीडब्ल्यूडी का प्रतिनिधि जो अधिशाषी अभियंता के पद से नीचे के नहीं हो

3. योजना मंडल का कुलपति द्वारा नामित सदस्य

4. वित्त अधिकारी

5. उपयोगकर्ता विभाग का एक प्रतिनिधि

6. कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के दो शिक्षक जो प्राध्यापक के पद से नीचे नहीं हो

7. अध्यक्ष, सिविल अभियांत्रिकी विभाग, (जहां यह मौजूद है),

8. अध्यक्ष, विद्युत अभियांत्रिकी विभाग, (जहां यह मौजूद है) अथवा

9. fo'ofokky; esa vfHk;kaf=dh egkfo|ky; ;k fudVorhZ fo'ofokky; bathfu;fax egkfo|ky; ds

c/kkukpk;Z

10. fo'ofokky; ds vfHk;ark] ;k fo'ofokky; ds okLrqdkj ;k ,d

ljdkjh okLrqdkj

11. dqylfpo & lnL; lfpo

नोट: संकाय डीन/विभाग प्रमुख/संस्थान प्रमुख, जो प्रस्तावित भवन का मुख्य उपयोगकर्ता है उन्हें उपयुक्त परियोजना के विचार हेतु बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

2. lfefr

1. यूजीसी या अन्य वित्त पोषण संस्थाओं द्वारा अनुमोदित विभिन्न भवन परियोजनाओं की योजनाओं और अनुमानों को अंतिम रूप देने, और यूजीसी आदि से प्राप्त अनुदानों के उचित उपयोग के लिए जिम्मेदार होगी

2. विश्वविद्यालय भवनों के रखरखाव और देखभाल के लिए जिम्मेदार होगी

3. प्रति वर्ष विश्वविद्यालय भवनों की मरम्मत, वृद्धि, परिवर्तन और विध्वंस की लागत का आंकलन और इससे संबंधित बजट तैयार करेगी जिसे कार्यकारी परिषद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा

4. ऐसे सभी शक्तियों का प्रयोग, जो समय-समय पर कार्यकारी परिषद द्वारा इसको प्रदत्त की जाती है, और

5. किसी भी कार्य एवं प्रदत्त जिम्मेदारियों की देखरेख हेतु एक या अधिक उप-समितियों का निर्माण करेगी।

समिति एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक आयोजित करेगी, जब भी आवश्यक हो।

भाग III खण्ड 4ह

भारत का राजपत्रा: असाधारण

7

एक-तिहाई सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

भवन समिति की संरचना को गठित करने के तुरंत बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सूचित किया जाना चाहिए। भवन समिति भवन निर्माण के पूरा होने, अनुमोदित योजनाओं और अनुमानों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार, सरकार और विश्वविद्यालय के स्वयं के संसाधनों से प्राप्त धन का उचित उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होगी।

नोट: उपर्युक्त संरचना और कार्य यूजीसी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सूचनाओं/निर्देशों के अनुसार संशोधित होंगे।

v;/kns'k 29

चिकित्सा प्रतिपूर्ति के नियम

(अधिनियम के अनुभाग 6(xxiii)] 28(o), संविधि 12(xx))

विश्वविद्यालय के कर्मचारी अधिकृत मेडिकल अटेंडेंस रूल्स द्वारा शासित होंगे, जो उन क्षेत्रों में रहने वाले केन्द्र कर्मचारियों पर लागू होता है जो क्षेत्र सी.जी.एच.एस. स्कीम के तहत नहीं आते हैं।

नोट: कर्मचारी से तात्पर्य स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को शामिल करते हुए कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त fo'ofokky; ds fu;fer@ lsokfuo`Ük deZpkjh (शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारी, दोनों)।

v;/kns'k 31

स्कूलों के अधिष्ठाताओं की शक्तियाँ एवं कार्य

(अधिनियम की संविधि 5(3))

1-स्कूल का अधिष्ठाता -

,) विभागाध्यक्षों के माध्यम से स्कूल में अध्ययन एवं शोध कार्यों का समन्वयन एवं व्यापक निरीक्षण करना।

ch) विभागाध्यक्षों के माध्यम से कक्षाओं में अनुशासन बनाये रखना।

lh) विद्यार्थियों के सत्रीय कार्य के मूल्यांकन तथा व्याख्यान, ट्यूटोरियल अथवा संगोष्ठी, जब निर्धारित किये जाये, उपस्थिति dk vfHkys[k j[kukA

Mh) अकादमिक परिषद द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार स्कूल के विद्यार्थियों के संबंध में परीक्षाओं

की व्यवस्था करना। bZ) विभाग एवं स्कूल से संबंधित अधिनियम/ संविधि/ अध्यादेश व नियमों के प्रावधानों की पालना करने के लिए उत्तरदायी होगा।

,Q) स्कूल बोर्ड की बैठक कराना एवं उसकी अध्यक्षता करना तथा बोर्ड की बैठक के मिनट्स रखना।

th) अकादमिक परिषद, कार्यकारी परिषद अथवा कुलपति द्वारा सौंपे गये अन्य अकादमिक कर्तव्यों का निर्वहन करना।

v/;kns'k 36

परीक्षकों की नियुक्ति

(अधिनियम की धारा 28(1)(जी), संविधि 12(2)(xiv))

I. विश्वविद्यालय सतत और सेमेस्टर समाप्ति परीक्षाओं हेतु

विश्वविद्यालय सतत और सेमेस्टर समाप्ति परीक्षा संबंधित संकाय सदस्य द्वारा आयोजित की जाएगी जो संबंधित विभाग प्रमुख/अध्ययन केन्द्र के अधिष्ठाता के परामर्श और अनुमोदन के बाद

परीक्षा के प्रारूप का भी निर्धारण करेगा। II. एम.फिल और पीएच.डी. डिग्री प्रदान करने हेतु

एम.फिल और पीएच.डी. के लिए परीक्षकों को स्कूल बोर्ड द्वारा संस्तुत तथा अकादमिक और कार्यकारी परिषद द्वारा विचारित एवं अनुमोदित किए हुए नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा

नियुक्त किया जाएगा।

fo'ofolk; ;os'k ijh{kk gsrq

विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा हेतु (यदि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती है) परीक्षकों की नियुक्ति कुलपति द्वारा संबंधित अध्ययन केन्द्रों के अधिष्ठाताओं की संस्तुति के आधार पर की जाएगी तथा जो इसके लिए पाठ्यक्रम और प्रारूप की संस्तुति भी करेंगे।

परन्तु, जहाँ भी सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, सहभागी विश्वविद्यालय मूल्यांकन के मानदंड तय करेंगे।

8

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC. 4]

v/;kns'k 40

fopy in

(अधिनियम की धारा 28 (ओ))

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर मंजूर पदों के अतिरिक्त प्रोफेसरों के कुछ विचल पद होंगे जो विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।

2. ये पद किसी विशेष विभाग को नहीं दिए जाएंगे लेकिन कुछ विभागों को उपलब्ध करवाए जाएंगे जिन्हें सामान्य प्रक्रिया से कुछ रिक्तियों को भरने में मुश्किल हो रही हो।

3. इन पदों के तहत नियुक्त व्यक्तियों में प्रतिष्ठित शोधार्थी होंगे जो इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य

4. विश्वविद्यालय या भारत या विदेशों में उच्च शिक्षा के समान संस्थानों से प्राध्यापक पद से सेवानिवृत्त हो पदों को भरने के लिए प्रयास जारी रहेंगे।

बशर्ते विभाग के रिक्त पद को भरे जाने पर कोई भी अस्थायी नियुक्ति वर्ष के अंत में नवीनीकृत नहीं की जाएगी।

5. विचल पदों के तहत नियुक्त व्यक्तियों को कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि नियुक्त व्यक्ति "अनुबंध नियुक्ति" के लिए निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार विश्वविद्यालय के साथ अनुबंध में प्रवेश न करे।

6. इन पदों के तहत नियुक्त अंतिम आहरित वेतन अथवा कार्यकारी परिषद द्वारा यू.जी.सी. के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित वेतन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

v/;kns'k 41

विद्यार्थियों का स्थानांतरण

(अधिनियम की धारा 28 (ओ))

विद्यार्थी का स्थानांतरण एक संबद्ध महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा निर्वाहित महाविद्यालय (जहां भी लागू हो) में एक विशेष पाठ्यक्रम के अध्ययन के दौरान केवल प्रस्तुत करने पर अनुमति:

- (i) egkfo|ky; ds ç/kkukpk;Z }kjk tkjh fd, x, gLrkari.k@vukifÜk çek.k i=] tgka ls çoklu dh ekax dh xbZ gS
- (ii) संबंधित महाविद्यालय के विद्यार्थी पंजीका में विद्यार्थी के नाम उपस्थिति की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां; rFkk
- (iii) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से विद्यार्थी के आचरण के साक्ष्य का प्रमाण-पत्र

v/;kns'k 44

v/;;u ds ikBiØe

(धारा 28 (बी))

1. विश्वविद्यालय में समय-समय पर विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित और अनुमोदित विभिन्न अध्ययन केन्द्रों में डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम/कार्यक्रम होंगे।
2. प्रस्तावित सभी पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के संबंध में अधिनियम विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए जाएंगे। उपर्युक्त के अतिरिक्त, शैक्षणिक परिषद के पास एक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने, संशोधित करने या बंद करने का अधिकार संबंधित स्कूल बोर्ड की संस्तुति पर होगा।
3. न्यूनतम पात्रता आवश्यकताओं और आवंटित सीटों में दिए गए अंकों का प्रतिशत समय-समय पर शैक्षणिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
4. न्यूनतम पात्रता शर्तों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों/बोर्डों से होगा।

v/;kns'k 48

अतिथि प्राध्यापक

(धारा 6 (xvi), संविधान 12 (xviii))

1. एक अतिथि प्राध्यापक अपने क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित शोधार्थी होना चाहिए। आम तौर पर एक व्यक्ति जो प्रोफेसर के पद पर हो या रह चुका हो या जो व्यक्ति विश्वविद्यालय क्षेत्र से बाहर सम्मान हासिल कर चुका हो अतिथि प्राध्यापक के रूप में fu;qfä ds fy, fopkj tkuk pkfg,A
2. अतिथि प्राध्यापक की नियुक्ति की अधिकतम अवधि दो वर्ष और न्यूनतम अवधि तीन महीने से कम नहीं होगी।

¹भाग IIIखण्ड 4ह

भारत का राजपत्रा: असाधारण

9

3. विश्वविद्यालय एक अतिथि प्राध्यापक के रूप में 70 वर्ष की आयु तक ही एक व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है। 4. एक प्राध्यापक को उसी विश्वविद्यालय में एक अतिथि प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति नहीं किया जाना चाहिए जिसमें वह Isokfuo`fÜk ds igys ;k rqjar ckn esa in xzg.k djrk gSA
5. यदि एक सेवानिवृत्त व्यक्ति एक अतिथि प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति किया जाता है या देश के बाहर के किसी व्यक्ति को एक अतिथि प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति किया जाता है तो यूजीसी मानकों के अनुसार समय-समय पर जारी एवं संशोधित मानदेय भुगतान किया जाएगा।
6. यदि किसी भारतीय विश्वविद्यालय में कार्यरत व्यक्ति को अतिथि प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति किया जाता है तो मानदेय का भुगतान वेतन के आधार पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत और अन्य भत्ते के आधार पर किया जाना चाहिए, यदि कोई स्वीकार्य (वाहन भत्ता को छोड़कर, यदि कोई हो) मूल विश्वविद्यालय की दरों के अनुसार होगा। प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय

पेंशन लाभ या सामान्य नियमों के अनुसार सीपीएफ/जीपीएफ के लिए योगदान करेगा। 7. यह अपेक्षित है कि जब एक कार्यरत व्यक्ति को अतिथि प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाता है तो मूल विश्वविद्यालय

8. यदि स्थायी आधार पर विदेश में काम करने वाले किसी व्यक्ति को अतिथि प्राध्यापक के तौर पर आमंत्रित किया जाता है तो विश्वविद्यालय अपने स्वयं के संसाधनों से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा का भुगतान कर सकता है। अतिथि प्राध्यापक को विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार भारत में यात्रा व्यय का भुगतान किया जा सकता है।

9. मेजबान विश्वविद्यालय द्वारा अतिथि गृह आवास निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, लेकिन अतिथि प्राध्यापक द्वारा भोजन

v/;kns'k 49

खेल व खेलकूद समिति

[धारा 28 (1)]

1. (अ) खेल व खेलकूद समिति निम्नलिखित सदस्य से मिलकर होगी, नामित:

1. v/;{k} dqyifr }kjk fu;qDr
2. छात्र कल्याण अधिष्ठाता
3. विभिन्न खेल व खेलकूद क्लबों के अध्यक्ष
4. एक वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष द्वारा नामित रोल पर विद्यार्थियों में से एक उत्कृष्ट खिलाड़ी।
5. शारीरिक शिक्षा के निदेशक, जो खेल और खेलकूद समिति के पदेन सचिव होंगे।

(ब) समिति के अध्यक्ष, दो वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे।

2- lfeifr%

1. विश्वविद्यालय में खेल और खेलकूद की व्यवस्था और निगरानी के साथ संबंधित अधिनियमों को भी बनाएगी।
2. खेल और खेलकूद के लिए बजट तैयार करेगी।
3. विभिन्न क्लबों के लिए वित्त आवंटित करेगी।
4. खेल मैदानों, व्यायामशाला, विश्वविद्यालय के स्विमिंग पूल्स की देखरेख करेगी।
5. प्रतियोगिताओं, स्पर्धाओं, टूर्नामेंट, एथलेटिक बैठक आदि को देखेगी।
6. प्रवेश के लिए नामांकित उत्कृष्ट खिलाड़ियों के नाम कुलपति को संस्तुति के लिए देगी।
7. ऐसे अन्य कार्यों को करेगी, जो अकादमिक परिषद द्वारा उसे समय-समय पर दिया जा सकता है।
8. विश्वविद्यालय में उपलब्ध खेल प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए कदम उठाएगी।

निदेशक, शारीरिक शिक्षा, छात्र कल्याण अधिष्ठाता की देखरेख में बजट का संचालन करेंगे।

डीएसडब्ल्यू की देखरेख में समिति कम से कम दो महीने में अपनी एक बैठक आयोजित करेगी।

कुल सदस्यों का एक-तिहाई सदस्य समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति बनायेगा।

ds- oh- ,l- dkes'oj jko] dqylfpo

[foKkiu-III@4@vIk-@499@16]

CENTRAL UNIVERSITY OF RAJASTHAN
(A Central University Established by and Act of Parliament)

NOTIFICATION

Ajmer, the 27th March, 2017

No. CURAJ/R/F.87/2017/4740.—The following is Published for general information.—

ORDINANCE 02

MEDIUM OF INSTRUCTION AND EXAMINATIONS

As stipulated under Section 28(c) (g) of the Act

The medium of instruction in respect of all courses conducted in the Schools, Centres and Departments admitted to the privileges of the University shall be English, except in cases of studies/research in Languages.

ORDINANCE 11

NORMS/REGULATIONS FOR PROMOTION THROUGH CAREER ADVANCEMENT OF ASSISTANT PROFESSORS, ASSOCIATE PROFESSORS,

PROFESSORS AND OTHER ACADEMIC STAFF The promotion through career advancement of Assistant Professors/Associate Professors/Professors/other Academic Staff in the university shall be governed by the Norms/Regulations prescribed by the University Grants Commission in vogue and as amended from time to time.

ORDINANCE 12

EMOLUMENTS, TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE

AND POWERS AND FUNCTIONS OF THE VICE CHANCELLOR

(Act Section 28(o), Statute 2(6))

SALARY

1) Pay: As notified by the University Grants Commission/Central Government from time to time.

2) Dearness and other Allowances: As notified by the Central Government from time to time other than House Rent Allowance.

3) The Vice Chancellor shall be entitled to such terminal benefits and allowances as fixed by the Central Government from time to time.

4) The Vice Chancellor shall be entitled to leave travel concession; as approved by the University from time to time.

5) The Vice Chancellor shall be entitled to the reimbursement of medical expenses incurred on the medical treatment of himself and his family members obtained from the Private OPD/Private Wards of any approved Hospital/Nursing Home as approved by the University.

6) The Vice Chancellor shall be entitled to the reimbursement of the expenses on account of T.A., D.A. for himself/herself and his/her family members from his home town to place of duty and back on his/ her assuming office and relinquishing it on the expiry of his/her tenure.

7) The Vice Chancellor shall be entitled to receive Traveling Allowance at the rates fixed by the Executive Council.

Leave:

1 (a) The Vice Chancellor shall, during the tenure of his office, be entitled to leave on Full Pay at the rate of 30 days in a calendar year. The Leave shall be credited to his account in advance in two half yearly installments of 15 days each on the first day of January and the first day of July every year.

Provided that if the Vice Chancellor assumes or relinquishes the charge of the Office of the Vice Chancellor during the currency of half year, the leave shall be credited proportionately at the rate of 2) कंले वित मंभी बवउचसमजमक उवदजीं व िेमतअपबमण्

1(b) The Leave at the credit of the Vice Chancellor at the close of the previous half year shall be carried forward to the new half year, subject to the condition that the Leave, so carried forward plus the credit for that half year, does not exceed the maximum limit of 300 days.

1 (c) The Vice Chancellor, on relinquishing the charge of his/her office, shall be entitled to receive a sum equivalent of the Leave Salary admissible for the number of days of Leave on Full Pay due

to him at the time of his relinquishing of charge, subject to a maximum of 300 days, including encashment benefit availed of elsewhere.

1 (d) The Vice Chancellor shall also be entitled to Half Pay Leave at the rate of 20 days for each completed year of service. The Half-Pay Leave may also be availed of as commuted Leave on production of medical certificate, provided that when such commuted leave is availed of is availed, twice the amount of Half-Pay Leave shall be debited against the Half-Pay Leave due.

1 (e) The Vice Chancellor shall also be entitled to avail himself of Extra-Ordinary Leave without pay for a maximum period of three months during the full term of five years on medical grounds or otherwise.

2. In case the Vice Chancellor is appointed for further term, the leave period mentioned above, shall apply separately to each term.

3. During the period of such Leave, the Vice Chancellor shall be entitled to the same Salary, Honorarium and Allowances and such other facilities of services as may have been provided during normal course.

4. In the case of any absence of the Vice Chancellor occasioned by any call by the Central or State Government, Public Service, or on Deputation on behalf of the University for any public purpose, the period so spent shall be treated as on duty.

5. Where an employee of the University is appointed as the Vice Chancellor, he/she shall be allowed to avail himself of any Leave at his credit before his/her appointment as the Vice Chancellor. Similarly, on his/her relinquishing the post of the Vice Chancellor and in event of his/her re-joining his/her old post, he /she shall be entitled to carry back the Leave at his/her credit to the new post.

6. Further he/she may be allowed to contribute to any provident fund of which he/she is a member and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund at the same rate at which the person had been contributing immediately before his/her appointment as Vice Chancellor.

7. If a person, employed in another institution, is appointed the Vice Chancellor on Deputation, he/she shall be entitled to Salary, Allowances, Leave and leave Salary as per deputation Rules of the institution to which he/she was entitled prior to his/her appointment as the Vice Chancellor and till he/she continues to hold his/her lien on this post. The University shall also pay Leave Salary, Provident Fund, Pension Contributions to the Institution, where he/she permanently employed, as admissible under the Rules. (second Term, 70 years)

8. As per D.O. Letter No. F.1-24/2006-Desk(U) Dated 30.03.2007 to enhance the age of superannuation of Vice-Chancellor of Central Universities from 65 years to 70 years, subject to amendments in the respective statutes, with the approval of the competent authority (Visitor in the case of Central Universities).

Amenities

1) The Vice Chancellor shall be entitled to have water, power and rent free furnished residential accommodation with such furniture, as may be approved by the University. The premises of his/her lodging will be maintained by the University.

2) The Vice Chancellor shall be entitled to the facility of a free official car. He shall also be entitled **to mobile phone** and free telephone (with STD and ISD) service at his/her office and residence.

3) The Vice Chancellor shall be entitled to one cook and two attendants at his/her residence.

POWERS AND FUNCTIONS

The Vice-Chancellor is the Chief Executive and Academic Head of the University and as such his/her powers and duties include, among others, the following:-

1. To ensure that the provisions of the Act, Statutes, Ordinances and Regulations are fully observed;
2. To delegate his powers for day-to-day work to the Pro-Vice-Chancellor(s). Deans, Heads of the Departments and other offices who should act on the basis of clear rules laid down in this regard;

- 3.To ensure that the routine items regarding creation of temporary posts for short duration and sanction of leave etc. should not normally be referred to the Executive Council;
- 4.To make appointments of Deans, Heads, Dean of Students Welfare and Wardens etc. The appointment of the Pro-Vice Chancellor (or Rector) and equivalent officers, however, may be made as per the provisions of the Act and Statutes.

12

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC. 4]

- 5.Power, not to act upon any decision of any authority, if he is of the opinion that it is *ultravires* of the provisions of the Act or Statutes or Ordinances or that such a decision is not in the best interests of the University. In both the cases he could ask the authority concerned to review the decision and if differences persist, the matter be referred immediately to the Visitor whose decision shall be final and binding on the Vice Chancellor.
- 6.As the Chairman of the authorities, bodies and committees of the University he shall have the powers to suspend a member from the meeting of the authority, body or committee for persisting to obstruct or stall the proceedings or for indulging in behavior unbecoming of a member.
- 7.All the disciplinary powers in regard to students and employees shall vest with the Vice-Chancellor. He shall have the powers to suspend an employee and initiate disciplinary action against him. However, the Vice-Chancellor may delegate these powers to other officers.
- 8.He shall be responsible for holding and conducting the university examinations properly at the scheduled time and for ensuring that results of such examinations are published expeditiously and that academic sessions of the university start and end on proper dates as stipulated in the Academic Calendar of the University.
- 9.In an emergent situation to take any action on behalf of any authority in which the power is vested and to report the action taken in the next meeting of the authority.
- 10.He shall be responsible to allocate responsibilities and to audit the performance of officers, faculty members, staff and students against the expected standards.
- 11.Managing the people (including students and academic staff), in a manner whereby there is a positive impact on society at large and the actions are in accordance with the overall plans of development etc.
- 12.To exercise all administrative and financial powers as defined in Statutes/Ordinance.
13. He/she shall pass such orders and take such measures that are necessary to implement any of the above.

ORDINANCE 13

EMOLUMENTS, TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE AND POWERS AND FUNCTIONS OF THE PRO-VICE CHANCELLOR

(Act Section 28(o); Statute 4(3))

The Pro-Vice Chancellor shall receive a salary as follows:

- 1) Pay : As notified by the Central Government/UGC from time to time.
- 2) Dearness and other/Allowances : As fixed by the Central Government from time to time

ॐीमतम ंद मउचसवलमम व िजीपे नदपअमतेपजल वत ंदल वजीमत प्देजपजनजपवदध्ववअमतदउमदज
 ंदक पजे वतहंदप्रंजपवदे पे ंचचवपदजमक े Pro-Vice Chancellor, he/she shall continue to be governed by
 the same retirement benefit scheme, (namely general Provident Fund/ Contributory Provident Fund/
 Pension/Gratuity/Transfer TA) to which he was entitled prior to his appointment as Pro Vice Chancellor,
 and till he/she continues to hold his/her lien on that post.

- 3) The Pro-Vice Chancellor shall be entitled to the reimbursement of medical expenses incurred on the medical treatment of himself/herself and his/her family members obtained from the Private OPD/Private Wards of any approved Hospital/Nursing Home as approved by the University.
- 4) The Pro-Vice Chancellor shall be entitled to the reimbursement of the expenses on account of T.A., D.A. for himself/herself and his/her family members from home town to post of duty and back on his/her assuming office and relinquishing it on the expiry of his/her tenure.

- 5) The Pro-Vice Chancellor shall be entitled to receive Traveling Allowance at the rates fixed by the Executive Council.
- 6) The Pro-Vice Chancellor shall be entitled to have water, power and rent free furnished residential accommodation. The premises of his/her lodging will be maintained by the University.
- 7) The Pro-Vice Chancellor shall be entitled to the facility of a staff car for journey performed between Office and his/her Residence. He shall also be entitled to mobile phone and free telephone (with STD and ISD) service at his/her residence.
- 8) The Pro-Vice Chancellor shall be entitled to an attendant at his/her residence.
- 9) Leave:

¹भाग IIIखण्ड 4ह

भारत का राजपत्रा: असाधारण

13

- a. The Pro-Vice Chancellor shall be entitled to leave on Full Pay at the rate of 30 days in the calendar year. The Leave shall be credited to his/her account in advance in two half yearly installments of 15 days each on the first day of January and the first day of July every year.

Provided that if the Pro-Vice Chancellor assumes or relinquishes the charge of the Office of the Pro Vice Chancellor during the currency of half year, the leave shall be credited चतवचवतजपवर्दजमसल ंज जीम तंजम व ि2) कले वित मंबी बवउचसमजमक उवदजी व िेमतअपबमण्

- b. The Leave at the credit of the Pro-Vice Chancellor at the close of the previous half year shall be carried forward to the new half year, subject to the condition that the Leave, so carried forward plus the credit for that half year, does not exceed the maximum limit of 300 days.
- c. The Pro-Vice Chancellor, on relinquishing the charge of his/her office, shall be entitled to receive a sum equivalent of the Leave Salary admissible for the number of days of Leave on Full Pay due to him at the time of his relinquishing of charge, subject to a maximum of 300 days, including encashment benefit availed of elsewhere.
- d. The Pro-Vice Chancellor shall also be entitled to Half Pay Leave at the rate of 20 days for each completed year of service. The Half-Pay Leave may also be availed of as commuted Leave on production of Medical certificate, provided that when such commuted leave is availed of is availed, twice the amount of Half-Pay Leave shall be debited against the Half-Pay Leave due.
- e. In case the Pro-Vice Chancellor is appointed for further term, the leave period mentioned above, shall apply separately to each term.
- f. During the period of such Leave, the Pro-Vice Chancellor shall be entitled to the same Salary, Honorarium and Allowances and such other facilities of services as may have been provided.
- g. In the case of any absence of the Pro-Vice Chancellor occasioned by any call by the Central or State Government, Public Service, or on Deputation on behalf of the University for any public purpose, the period so spent shall be treated as on duty.
- h. Where an employee of the University is appointed as the Pro-Vice Chancellor, he/she shall be allowed to avail himself of any Leave at his credit before his/her appointment as the Pro-Vice Chancellor. Similarly, on his/her relinquishing the post of the Pro-Vice Chancellor and in event of his/her re-joining his/her old post, he /she shall be entitled to carry back the Leave at his/her credit to the new post.

Further he/she may be allowed to contribute to any provident fund of which he/she is a member and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund at the same rate at which the person had been contributing immediately before his/her appointment as Vice Chancellor.
- i. If a person, employed in another institution, is appointed the Pro-Vice Chancellor on Deputation, he/she shall be entitled to Salary, Allowances, Leave and leave Salary as per deputation Rules of the institution to which he/she was entitled prior the his/her appointment as the Pro Vice Chancellor and till he/she continues to hold his/her lien on this post. The

University shall also pay Leave Salary, Provident Fund, and Pension Contributions to the Institution, where he/she permanently employed, as admissible under the Rules.

POWERS AND FUNCTIONS

The Pro-Vice Chancellor shall assist the Vice Chancellor in respect of such matters as may be specified by the Vice Chancellor in this behalf, from time to time, and shall also exercise such powers and perform such duties as may be assigned or delegated to him/her by the Vice Chancellor.

ORDINANCE 14

EMOLUMENTS, TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE

AND POWERS AND FUNCTIONS OF THE REGISTRAR

(Act Section 28(o); Statute 6(3))

1. The Registrar shall be a whole-time salaried officer appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose for tenure of five years which can be renewed for a similar term by the Executive Council and shall be placed in the scale of pay as recommended by the University Grants Commission and adopted by the Executive Council from time to time.

Provided that the Registrar shall retire on attaining the age of sixty-two years.

14

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC. 4]

Where an employee of this university or any other Institution/Government and its organisations is appointed as Registrar, he/she shall continue to be governed by the same retirement benefit scheme, (namely general Provident Fund/ Contributory Provident Fund/ Pension/Gratuity/Transfer TA) to which he was entitled prior to his appointment as Registrar, and till he/she continues to hold his/her lien on that post.

2. The terms and conditions of service of the Registrar shall be such as prescribed for other non-vacational employees of the University.
3. When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.
4. प िजीम ेमतअपबमे व िजीम सहपेजतंत ंतम इवततवूमक तिवउ व्वअमतदउमदज वत ंदल वजीमत
वतहंदप्रंजपवदध्देजपजनजपवदए जीम जमतउे and conditions of his/her service shall be governed by the Deputation Rules of the Government of India.
5. A Registrar on Deputation may be repatriated earlier than the stipulated period by the Executive Council on the recommendations of the Vice Chancellor.
6. The Registrar shall be entitled to unfurnished residential accommodation, for which he shall pay prescribed license fee, as also to mobile phone and free telephone (with STD and ISD) service at his/her residence.
7. The Registrar shall be entitled to such Leave, Allowances, Provident Fund and other, terminal benefits as prescribed by the University from time to time for its non-vacational staff.
8. The Registrar shall be entitled to the facility of staff car between the Office and his/her residence.

RESPONSIBILITIES AND DUTIES

- (1) The Registrar shall have power to take disciplinary action against such employees, excluding teachers and other academic staff, as may be specified in the order of the Executive Council and to suspend them pending inquiry, to administer warnings to them or to impose on them the penalty of censure or the withholding of increment:
 - (a) Provided that no such penalty shall be imposed unless the person has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him.
 - (b) An appeal shall lie to the Vice-Chancellor against any order of the registrar imposing any of the penalties specified in sub-clause (a).
 - (c) In a case where the inquiry discloses that a punishment beyond the power of the Registrar is called for, the Registrar shall, upon the conclusion of the inquiry, make a report to the Vice-Chancellor along with his recommendations:

Provided that an appeal shall lie to the Executive Council against an order of the Vice-Chancellor imposing any penalty.

- (2) The Registrar shall be *ex-officio* Secretary of the Executive Council and the Academic Council, but shall not be deemed to be a member of either of these authorities and he shall be *ex-officio* Member-Secretary of the Court.
- (3) It shall be the duty of the Registrar-
 - (a) To be the custodian of the records, the common seal and such other property of the University as the Executive Council shall commit to his charge;
 - (b) To issue all notices convening meetings of the court, the Executive Council, the Academic Council and of any Committees appointed by those authorities.
 - (c) To keep the minutes of all the meetings of the Court, the Executive Council, the Academic Council and of any Committees appointed by these authorities.
 - (d) To conduct the official correspondence of the Court, the Executive Council and the Academic Council;
 - (e) To supply to the Visitor, copies of the agenda of the meetings of the authorities of the University as soon as they are issued and the minutes of such meetings;

भाग III खण्ड 4ह

भारत का राजपत्रा: असाधारण

15

- (f) To represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and verify pleadings or depute his representative for the purpose;
- (g) To ensure preparation of Annual Report of the University under the direction of Executive Council or the Vice Chancellor; and
- (h) To perform such other duties as may be specified in the Statutes, the Ordinances or the Regulations or as may be required from time to time by the Executives Council or the Vice-Chancellor.

ORDINANCE 22

CURBING THE MENACE OF RAGGING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

(Act Section 28 (n))

Ragging is prohibited and punishable under the UGC Regulations on “Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions (2009)” as issued and amended by the UGC from time to time.

ORDINANCE 24

UNIVERSITY BUILDING COMMITTEE

(Act Section 28(j))

1. There shall be a Building Committee consisting of the following members, namely:
 - a. The Vice Chancellor (Chairperson)
 - b. A Representative of the CPWD/PWD not below the rank of Executive Engineer
 - c. A member of Planning Board nominated by Vice Chancellor
 - d. The Finance Officer
 - e. A Representative of User Department
 - f. Two teachers of the University not below the rank of Professor nominated by the Vice Chancellor
 - g. Head, Department of Civil Engineering, (where it exists),
 - h. Head, Department of Electrical Engineering, (where it exists) or
 - i. Principal of Engineering College in the University or from nearby University Engineering College.
 - j. The University Engineer, or the University Architect or a Government Architect.

k. The Registrar – Member Secretary

NOTE : The Dean of the Faculty/the Head of the Department/the Head of the Institution, who is the main user of the proposed Building, may be invited to attend the meeting in which the said project comes up for consideration.

2. The Committee shall...

a. इम तमेचवदेपइसम वित पिदंसप्रपदह जीम चसदे ंदक म्ेजपउंजमे व िजीम अंतपवने ठनपसकपदह च्तरमबजे ंचचतवअमक इल जीम

न्लबए वत वजीमत निदकपदह ।हमदबपमेए ंदक वित चतवचमत नजपसप्रंजपवद व िजीम लतंदजे तमबमपअमक तिवउ जीम न्लब मजबय

b. be responsible for the maintenance and upkeep of the University Buildings;

c. assess the cost of repairs, additions, alteration and demolition of the University Buildings annually and

prepare the Budget for the same to be submitted for approval of the Executive Council.

d. exercise all such powers, as delegated to it by the Executive Council from time to time, and

e. Constitute one or more Sub-Committees to look after any of the functions and responsibilities assigned to it.

3) The Committee shall meet at least twice in a year, or as and when necessary.

4) One third members shall form the quorum.

5) The composition of the Building Committee should be intimated to the University Grants Commission immediately after it is constituted.

1) The Building Committee shall be responsible for ensuring the completion of the building in ंबबवतकंदबम ूपजी जीम ंचचतवअमक चसदे ंदक मेजपउंजमे ंदक चतवचमत नजपसप्रंजपवद व िजीम निदके तमबमपअमक तिवउ

the University Grants Commission, the Government and from the University's own resources.

16

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC. 4]

NOTE: The above mentioned composition and functions shall stand amended as per the notifications/instructions issued by the UGC from time to time.

ORDINANCE 29

RULES FOR MEDICAL REIMBURSEMENT

(Act Section 6(xxiii), 28(o); Statute 12(xx))

The employees of the University will be governed by the Authorised Medical Attendance Rules applicable to the Central Government Employees residing in areas not covered under CGHS scheme.

NOTE:

Employees mean regular/retired employees (both teaching and non teaching) of the University appointed by the Executive Council against a clear vacancy, including employees on deputation.

ORDINANCE 31

POWERS AND FUNCTIONS OF THE DEANS OF SCHOOLS

(Statute 5 (3) of the Act)

1. The Dean of the School shall:

(a) ब्ब.वतकपदंजम ंदक हमदमतंससल ेनचमतअपेम जीम जमंबीपदह ंदक तमेमंतबी ूवतो पद जीम ैबीववस जीतवनही जीम भंके व िजीम Departments;

(b) Maintain discipline in the classrooms through the Heads of the Departments;

(c) Keep a record of the evaluation of sessional work and of the attendance of the students at lectures, tutorials or seminars when these are prescribed;

(d) Arrange for the examinations of the University in respect of the students of the School in accordance with such directions as may be given by the Academic Council;

(e) Shall be responsible for observance of the provisions of the Act/Statutes/Ordinances and Regulations

- relating to the Departments and the School;
- (f) Convene and preside over the meetings of the School Board and keep the minutes of the meetings of the Board; and
- (f) Perform such other academic duties as may be assigned to him/her by the Academic Council, the Executive Council or the Vice-Chancellor.

ORDINANCE 36

APPOINTMENT OF EXAMINERS

[Act Section 28(1)(g), Statute 12(2)(xiv)] of the Act

I. FOR UNIVERSITY CONTINUOUS AND END SEMESTER EXAMINATIONS

The University continuous and end semester examinations shall be conducted by the faculty member concerned who will also decide the format of the examination after consultation and approval of the Head of the Department/Dean of School concerned.

II. FOR AWARD OF M.Phil. and Ph.D. DEGREE

Examiners for M.Phil. and Ph.D. shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst a panel of names recommended by the School Board and considered and approved by the Academic and Executive Councils.

FOR UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATIONS

The examiners for entrance examinations (if conducted by the University) for admission to various Programmes of the University shall be appointed by the Vice-Chancellor on the basis of the recommendations of the Deans of the Schools concerned who will also recommend the syllabus and format for the same.

However, wherever common entrance exam is conducted, the participating Universities will decide the norms of evaluation.

भाग III खण्ड 4ह

भारत का राजपत्र: असाधारण

17

ORDINANCE 40

FLOATING POSTS

(Section 28(o) of the Act)

- There shall be a few floating posts of Professors out of the posts sanctioned by the University Grants Commission from time to time and as approved by the Executive Council of the University.
 - These posts shall not be assigned to any particular Department but shall be made available to certain Departments which may be finding it difficult to fill up certain vacancies by the normal procedure.
 - Persons appointed against these posts will be eminent scholars including those who may have retired as Professors from this University or any other University or similar institutions of higher learning in India or abroad.
 - All appointments under floating posts will initially be made ordinarily for one year and efforts shall be continued for filling these posts in the normal course.
- Provided that no floating appointment shall be renewed at the end of the year if the vacant post in the Department is filled up.
- No appointment letters to persons appointed under the floating posts shall be issued unless the appointee enters into a contract with the University as per Proforma prescribed for 'Contract Appointment'.
 - Persons appointed under these posts shall be eligible to draw the pay last drawn or as fixed by the Executive Council in accordance with the U.G.C. guidelines in this regard.

ORDINANCE 41

TRANSFER OF STUDENTS

(Section 28(o) of the Act)

Transfer of a student from one affiliated College/College maintained by the University to another (wherever applicable) during a particular Course of study shall be permitted only on the production of:

- A transfer/no objection certificate issued by the Principal of the College from which the migration is sought;
- Certified copies of the report of attendance against his name in the register of students of the College concerned; and
- A certificate from the University/College testifying to the conduct of the student.

ORDINANCE 44**COURSES OF STUDY**

(Section 28 (b))

1. There shall be Courses/Programmes of study in the University for the Degrees, Diplomas and Certificates in various Schools as decided and approved by the University authorities from time to time;
2. The Regulations in respect of all the Courses/Programmes offered shall be framed by the University.

In addition to the above, the Academic Council shall have the power to introduce, modify or discontinue a programme on the recommendations of the concerned School Board.

3. ज़ीम चमतबमदजंहम व िउंतो े हपअमद पद जीम उपदपउनउ मसपहपइपसपजल तमुनपतमउमदजे ंदक ंससवजजमक ेमंजे ींसस इम ंचचतवअमक इल the Academic Council from time to time.

4. The Degrees/Diplomas/Certificates as decided by the University in the minimum eligibility conditions shall be from those Universities/ Institutions/ Boards which have been recognised by the University.

ORDINANCE 48**VISITING PROFESSORS**

(Section 6(xvi), Statute 12(xviii))

1. A Visiting Professor should be an eminent scholar in his/her field. Generally a person who has held or is holding the post of Professor or a person who has achieved distinction outside the University sector, should be considered for appointment as Visiting Professor.
2. The maximum tenure of appointment of a Visiting Professor shall be two years and the minimum – not less than three months.

18

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III—SEC. 4]

3. The University may appoint a person up to the age of 70 years as a Visiting Professor.
4. A Professor should not be appointed as a Visiting Professor in the same University in which he/she holds a post immediately before or after superannuation.
5. If a superannuated person is appointed as a Visiting Professor or a person from outside the country is appointed as a Visiting Professor, the honorarium shall be payable as per UGC norms as issued and amended from time to time.
6. In case a person serving in an Indian University is appointed as Visiting Professor, the honorarium payable should be determined on the basis of salary plus 10% of the basic pay plus dearness allowance, and other allowances, if any admissible (except conveyance allowance, if any) as per the rates of the parent University.
The receiving University would also contribute towards pensionary benefits or CPF/GPF as per usual Rules. 7. It is expected that when a serving person is appointed as Visiting Professor, the parent University would give him/her duty leave without pay.
8. If a person working abroad on a permanent basis is invited as a Visiting Professor, the University may meet the cost of international air travel from its own resources. Visiting Professor appointed may be paid travel expenses within India in accordance with the Rules of the University.
9. Guest House accommodation will be provided free of charge by the host University, but food charges would be paid by the Visiting Professor.

ORDINANCE 49**GAMES AND SPORTS COMMITTEE**

(Section 28(l))

1. (a) There shall be a Games and Sports Committee consisting of the following members, namely:
 - (1) Chairman, appointed by the Vice-Chancellor
 - (2) Dean Students' welfare
 - (3) Presidents of various Games and Sports Clubs
 - (4) One Outstanding Sportsman from among the students on rolls, nominated by the Chairman for a period of one year
 - (5) Director of Physical Education, who shall be the Ex-Officio Secretary of the Games and Sports Committee
 (b) The Chairman of the Committee shall hold office for a term of two years.
2. The Committee shall :
 - (1) make arrangements and supervise the games and sports of the University and frame Regulations in this regard;
 - (2) frame the budget for games and sports;
 - (3) allocate finances to the various Clubs;

- (4) maintain the play-grounds, gymnasias, swimming pools of the University;
- (5) hold contests, competitions, tournaments, athletic meets etc.;
- (6) recommend to the Vice-Chancellor the names of outstanding players and sportsmen to be nominated for admission
- (7) perform such other functions, as may be assigned to it by the Academic Council from time to time;
- and (8) take measures to attract the sports talent available in the University.

The Director, P/E will operate the budget under the supervision of DSW.

The Committee shall hold its meetings at least once in two months under the supervision of the DSW.

One-third of the total members shall form the quorum for a meeting of the Committee.

K. V. S. KAMESWARA RAO,
Registrar
[Advt.III/4/Ext
.499/16]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New
Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.04.24 10:40:23 +05'30'

